

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना (म.प्र.)
// सीमित निविदा सूचना //

निविदा जारी करने की दिनांक—२८-५-१९

न्यायिक जिला स्थापना मुरैना हेतु वित्त वर्ष 2019–20 में जिला एवं तहसील मुख्यालयों के लिए स्थानीय रजिस्टर्ड फर्मों से टाटा वोल्टाज कंपनी के 30 कूलर क्य किया जाना है।

अतः उपरोक्त सामग्री क्य किए जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्य एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 11.1.2 के पालन में स्थानीय पंजीकृत संस्थाओं/फर्मों से शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान दिनांक 10.06.19 के सायं 05:00 बजे तक निविदा बंद लिफाफे में “जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के नाम से कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा ई-मेल आई.डी. dcourtmor-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कूलर के मॉडल के संबंध में केपेसिटी, वारंटी एवं वस्तु के क्य मूल्य के साथ जी.एस.टी. का प्रथक से उल्लेख निविदा में किया जाना आवश्यक है, साथ ही यदि संभव हो तो केटलॉग भी निविदा के साथ प्रस्तुत करें।


रजिस्टर निविदा कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुरैना (म०प्र०)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना (म.प्र.)

// निविदा शर्ते //

01. फर्म वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
02. सभी प्रकार के करो व क्य मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे।
03. क्य की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील न्यायालय मुरैना, अंबाह एवं जौरा न्यायालयों में किया जावेगा। तहसील न्यायालयों में आपूर्ति किए जाने संबंधी कोई परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जाएगा।
04. क्य की गई सामग्री को वारंटी पीरियड सहित पांच साल तक मरम्मत कार्य मौके पर (जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील न्यायालय) जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।
05. सामग्री इस्टालेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
06. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्य की सामग्री के लिए मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
07. नियंत्राधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
08. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
09. उपरोक्त सामग्री के क्य की संख्या कम किए जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना को होगा।
10. क्य की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्य की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
11. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्न-निविदा फार्म

रजिस्ट्रेटर स्थिविल कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुरैना (म०प्र०)